आदेश की सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
25.09.2020	न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, पूर्णिया	

सी0सी0ए0 वाद संख्या-12/2020

अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के अंतर्गत

राज्य

बनाम

मो0 मसिउर रहमान उर्फ मसिया, पिता-स्व0 मोजिबुर रहमान, सा0-बरसौनी, थाना-सदर, जिला-पूर्णिया

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत वाद पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के 5577/सी0आर0, दिनांक 13.09.2020 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में अपराधकर्मी मो0 मसिउर रहमान उर्फ मसिया, पिता-स्व0 मोजिबुर रहमान, सा0-बरसौनी, थाना-सदर, जिला-पूर्णिया के विरूद्ध अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के तहत निरूद्ध करने के संबंध में प्रारंभ की गई है।

पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के उक्त प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि अपराधकर्मी मो0 मसिउर रहमान उर्फ मसिया, पिता-स्व0 मोजिबुर रहमान, सा0-बरसौनी, थाना-सदर, जिला-पूर्णिया एक मुख्यात एवं आदतन अपराधकर्मी है तथा इसका एक संगठित गिरोह है। वर्त्तमान में ये जेल से बाहर हैं। इसकी गतिविधि काफी संदिग्ध है। इससे आगामी विधान सभा चुनाव 2020 के अवसर के दौरान शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

इसका अपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है :-

1. सदर थाना कांड संख्या-71/2012 दिनांक-26.02.2012, धारा-409, 420, 468, 34 भा0द0वि0
2. सदर थाना कांड संख्या-470/2019 दिनांक-11.09.2019, धारा-25(1-बी)ए/26 आर्म्स एक्ट
3. सदर थाना सनहा सं0-54/2020 दिनांक 02.09.2020
4. सदर थाना सनहा सं0-121/2020 दिनांक 04.09.2020
5. सदर थाना सनहा सं0-295/2020 दिनांक 10.09.2020

इस वाद में विपक्षी द्वारा दिनांक 25.09.2020 को समर्पित कारणपृच्छा का अवलोकन किया। उनका मुख्य रूप से कथन है कि वे दिनांक 14.08.2010 से प्राथमिक विद्यालय, हासदा-95, प्रखण्ड-पूर्णिया पूर्व में पंचायत शिक्षक

5

के तौर पर कार्यरत हैं। मेरी पत्नी वर्ष 2006 से वर्ष 2011 तक ग्रामपंचायत-सिकन्दरपुर की मुखिया रह चुकी है तथा राजनीतिक साजिस के कारण आर्म्स एक्ट में फंसा दिया गया है। सदर थाना काण्ड सं0-71/2012 दिनांक 26.02.2012 राजनीतिक रंजिश का नतीजा है। विपक्षी का यह कथन भी है कि थानाध्यक्ष, सदर के अनुशंसा पर दिनांक 01.06.2018 तथा 24.07.2019 को चरित्र प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है। ऐसी स्थिति में इस वाद से मुक्त करने की कृपा की जाय।

विपक्षी के आपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2019 में उक्त अपराधकर्मी पर दर्ज काण्ड बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 2(डी)(1) के अंतर्गत वर्णित प्रावधानों के तहत् दण्डनीय नहीं है तथा वर्ष 2012 के बाद उनके विरूद्ध कोई ऐसा काण्ड दर्ज नहीं हुआ है, जो इस अधिनियम के तहत् पोषणीय हो। फलतः अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के तहत् विपक्षी को निरूद्ध करने का पर्याप्त आधार नहीं बनता है।

चूँकि थानाध्यक्ष, सदर / अनुण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर एवं पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया द्वारा विपक्षी की गतिविधि संदिग्ध बताई गई है तथा यह भी संभावना व्यक्त की गई है कि विधानसभा निर्वाचन 2020 के अवसर पर उनके द्वारा शांति व्यवस्था भंग की जा सकती है। ऐसी स्थिति में विपक्षी पर निर्वाचन के दौरान निगरानी रखा जाना आवश्यक है।

अतः थानाध्यक्ष, सदर को निदेश दिया जाता है कि मो0 मसिउर रहमान उर्फ मसिया, पिता-स्व0 मोजिबुर रहमान, सा0-बरसौनी, थाना-सदर, जिला-पूर्णिया पर विधानसभा निर्वाचन 2020 के दौरान निगरानी रखेंगे। यदि इनके द्वारा शांति भंग या अन्य आपराधिक कृत्य किया जाता है, तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत् विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भेजें। साथ ही आदेश की प्रति जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पूर्णिया को भी आम जनता में प्रचार प्रसार हेतु भेजे एवं एक प्रति पूर्णिया जिला के बेबसाईट पर प्रकाशन हेतु जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पूर्णिया को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्णिया।

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्णिया।

ज्ञापांक 2475 / विधि, पूर्णियाँ, दिनांक 28.9.20
प्रतिलिपि :- थानाध्यक्ष, सदर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- अनु० पुलिस पदा० सदर / जिला जनसम्पर्क पदा० पूर्णियाँ एवं जिला सूचना एवं विज्ञान पदा० पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, पूर्णियाँ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

28/9/20

D:\Legal Letter 2020\CCA-3\CCA-3 Final Order-2020

प्रभारी उपसमाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
पूर्णियाँ
28.9.20